



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं-A-33/13/DD(OL)/2014-E.I

दिनांक-19-05-2026

कार्यालय आदेश संख्या 82/2026

सक्षम प्राधिकारी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में दिनांक 26.02.2026 को आयोजित वर्ष 2025 और 2026 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक की अनुशंसा के आधार पर, निम्नलिखित सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर कार्यरत अधिकारियों को उप निदेशक (राजभाषा) [वेतनमान के स्तर 11 (Rs.67,700-2,08,700/-)] के पद पर पदोन्नत करने की स्वीकृति दी है:

क्र.सं.	कर्मचारी संख्या	अधिकारी का नाम(श्री/श्रीमति)	वर्तमान पोस्टिंग
1	120581	रोजलीन हेमरोम	मुख्यालय, नई दिल्ली
2	120182	संत कुमार पांडेय	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान

संबंधित अधिकारियों की नियमित पदोन्नति, पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

उपरोक्त सभी अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही पदोन्नत किया जा रहा है तथा उनके स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश प्रशासनिक आवश्यकता/व्यवहार्यता के अनुसार पृथक रूप से नियत समय में जारी किए जाएंगे।

उक्त पदोन्नति के पश्चात उनका वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में निर्धारित किया जाएगा। अधिकारी को एफआर-22(1)(a)(1) के प्रावधानों के अनुसार, वेतन निर्धारण हेतु पदोन्नति की तिथि से एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

कार्यभार/जवाइनिंग रिपोर्ट सभी संबंधितों को यथासमय भेजी जाए तथा इसकी एक प्रतिलिपि dpc-e1hq@esic.gov.in तथा estt1-hq@esic.gov.in पर भी भेजी जाए।

उप निदेशक (वि.प.स प्रकोष्ठ)

प्रतिलिपि :

1. संबंधित अधिकारियों को उनके नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से।
2. मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्षों के पीपीएस/पीएस।
3. बीमा आयुक्त (एनटीए), द्वारका।

4. सचिव (पीडी-6), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), उनके पत्र संख्या-1/39(5)/2025-PD-6 दिनांक 27.02.2026 के संदर्भ में।
5. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रभारी) /संयुक्त निदेशक (प्रभारी) / संयुक्त निदेशक, स्थापना शाखा-V, मुख्यालय।
6. चिकित्सा निदेशालय (दिल्ली) / चिकित्सा निदेशालय (नोएडा)।
7. ईएसआईसी अस्पतालों / ईएसआईसी मॉडल अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षक।
8. ईएसआईसी पीजीआईएमएसआर / मेडिकल कॉलेज / डेंटल कॉलेज / नर्सिंग कॉलेज के सभी डीन।
9. निदेशक / संयुक्त निदेशक, अंचल सतर्कता / संबंधित वित्त एवं लेखा प्रभाग।
10. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक — आदेश को ईएसआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. हिंदी प्रकोष्ठ (अंग्रेजी अनुवाद हेतु) / पुस्तकालयाध्यक्ष / गार्ड फाइल / व्यक्तिगत फाइल / अतिरिक्त प्रतियाँ।